रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 126] नई दिल्ली, बुधवार, मई 13, 2015/वैशाख 23, 1937
No. 126] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 13, 2015/VAISAKHA 23, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2015

सं. 25035/101/2014-आरएस.- जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2012 की रिट याचिका (सिविल) संख्या - 235 में सेलाईफ फाउंडेशन और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के मामले में अपने आदेश दिनांक 29 अक्तूबर, 2014 के तहत अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय विधान मंडल द्वारा उचित विधि निर्माण किए जाने तक गुड सेमेरिटन के बचाव के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है;

और जबकि केन्द्रीय सरकार, सड़क दुर्घटना पीड़ितों की जान बचाने के लिए उनके द्वारा की जा रही कार्रवाइयों के संबंध में गुड सेमेरिटन को उत्पीड़न से बचाव के लिए इसे आवश्यक समझती है तथा, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा गुड सेमेरिटन के बचाव के लिए अस्पतालों, पुलिस और अन्य सभी प्राधिकरणों को अनुपालन किए जाने हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी करती है, अर्थात्:-

1. (1) किसी सड़क दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी सहित कोई भी बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन किसी घायल व्यक्ति को निकटतम अस्पताल में लेकर जा सकता है, तथा उस बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन को तुरंत जाने की अनुमति दे दी जाएगी और उस बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, सिवाय सिर्फ प्रत्यक्षदर्शी के, जिसे पता बताने के बाद जाने दिया जाएगा।

(2) सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए आगे आने हेतु अन्य नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट रूप में प्राधिकरणों द्वारा बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन को उचित ईनाम या मुआवजा दिया जाएगा।

(3) बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन किसी सिविल तथा आपराधिक दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(4) कोई बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन जो सड़क पर घायल पड़े व्यक्ति के लिए पुलिस को सूचना देने अथवा आपातकालीन सेवाओं हेतु फोन कॉल करता है, उसे फोन पर अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना नाम और व्यक्तिगत विवरण देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।